5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

79

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / निगरानी / छतरपुर / भू.रा. / 2018

निगरानी-3171/2018/छतरपुर/भू.रा.

जगदीश श्रीवास्तव एडवो

श्री 23-5-18 द्वारा आज दिनांक को प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 28-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 23.5.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्यारेलाल पुत्र भूरा निवासी ग्राम डाही तहसील बिजावार जिला छतरपुर

.... **प्रार्थी**

1. भोला अहिरवार पुत्र भूरा अहिरवार निवासी ग्राम डाही तहसील बिजावार जिला छतरपुर
2. मध्यप्रदेश शासन

.... **प्रतिप्रार्थीगण**

Rcd 28/5/18

म.प्र.भू.रा. संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अनुविभागीय अधिकारी बिजावर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 51/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 17.5.2018 के निर्णय के विरुद्ध निगरानी।

23/5

श्रीमान्‌जी,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, प्रार्थी के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम डाही में सर्वे क्रमांक 588/5 रकवा 0.405 आरे सर्वे क्रमांक 588/6 रकवा 0.405 आरे भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज थी और जिसकी मेढ़ पर प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी का शामिली कुआ बना हुआ था, उक्त भूमि नक्शे में तरमीन नहीं थी इसलिये प्रार्थी ने नक्शे में तरमीनी किये जाने बाबत्‌ विचारणीय न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसका प्रकरण क्रमांक 4/2013–14 अ–3 हैं विचारणीय न्यायालय द्वारा राजरव निरीक्षक से मौके की जांच

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्यारेलाल विरूद्ध भोला व शासन

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3171/2018/छतरपुर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 51/अपील/ 2017-18 में पारित आदेश दिनांक 17-5-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 23-05-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

05/02/19

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 05/02/19
सदस्य